


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
	<p>कोई निर्माण नहीं करने एवं प्राथमिक डिजाई के समूह उत्तरवादी का निर्माण अगर वादी के एक दिवस में पाया जावेगा तो उत्तरवादी अपना एक खोद देगे। इस आदेश पर न्यायालय के आदेश दि 24/6/2021 को जारी अरुआई निपेक्षाला को जारी/वादी के एक दिवस तक सिमित किया जाता है साथ ही PO के समूह उत्तर के एक दिवस में उत्तरवादी का निर्माण पाया जाता है तो उत्तरवादी इसे हटाने को बाध्य होगा</p> <p style="text-align: right;">  मुकुन्द अधिकारी मदेसा, जिला-चित्तौड़गढ़ </p> <p>2/8/2021</p> <p>प्राथमिकी प्रेषित हुई। वर्गीकृत वादी उपरि उक्त मुद्दों के में प्राथमिक डिजाई जारी होने से T.I ज. पत्र का कार्य प्रारम्भ नहीं प्रारम्भ में दि. 24/6/2021 को जारी अरुआई निपेक्षाला इसी स्तर पर स्वदिज किया जाना है प्रारम्भ के पत्रों के अन्तर्गत प्रमाण देकर न खर</p>	

